आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......45....../17–18

राज्य बनाम हिरो स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-9627

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
15.11.18	अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद विभाग द्वारा विशेष वाद (उत्पाद) संख्या–302/17 में दिनांक–28.07.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 (b) के तहत हीरो स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– **BR-19J-9627** को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशेष वाद (उत्पाद) संख्या–302/17 में दिनांक–28.07.17 में गुप्त सूचना के आधार पर अधीक्षक उत्पाद सहरसा के पर्यवेक्षण में अपने अधीनस्थ बल व प्रतिनियुक्त सैप बल के साथ मद्यपान निषेध चेकिंग अभियान के अन्तर्गत हवाई अड्डा मेन रोड (थाना–सदर) पर दिनांक–28.07.17 समय दोपहर 12:22 बजे हीरो स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-9627 चेचिस सं0 MBLHA10CAGHD05300 पर सवार व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया। घटनास्थल पर उपस्थित गवाहों के समक्ष ब्रेथ एनलाइजर मशीन से श्वास परीक्षण उपरांत अभियुक्त के शरीर में 50 एम0जी0/100 एम0एल0 अल्कोहल की मात्रा पायी गयी। तत्पश्चात बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 37 (b) के अन्तर्गत अभियुक्त को विधिवत गिरफतार किया गया तथा वाहन को विधिवत जब्त किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन चालक का जाँच में शराब पीने की पुष्टी हुई। ऐसी स्थिति में जब्त वाहन से	

15.11.18

अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि प्रमोद झा हीरो स्पेलेण्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0 बी0आर0 19 जे0 9627 का रजिस्टर्ड मालिक है। मोटर साईकिल जब्त कर खुले आसमान मे रखा गया है, जिससे मोटर साईकिल का पाट्र्स खराब हो रहा है। जब्त मोटर साइकिल का प्रयोग शराब ढोने या कारोबार में नहीं किया गया है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट हो कि इनके वाहन से अवैध शराब का परिवहन नही किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन का प्रयोग नशे की हालत मे हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन का प्रयोग नशे की हालत में होना एक दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त वाहन हीरो स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-9627 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

14.11.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

14.11.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1753-2/विधि, सहरसा, दिनांक 15-11-17

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.11.017